पर तैयार कर उसका समूचित प्रलेखन किया जाय और यथासम्भव पारदर्शिता के लिए "वेबसाइट" पर भी रखा जाय।

(3) दरों की अनुसूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाय, जो सामान्यतः संगठन का प्रमुख होता है।

(4) बाजार में सामग्री की दर में जब भी विशष उतार–चढ़ाव हो तो दरों की अनुसूची पुनरीक्षित की जाय। साधारणतः इसे कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार अद्यावधिक किया जाय।

43– बोनस एवं परिनिर्धारित नुकसान (लिक्विडेटेड डैमेजेज)–

(1) कोई कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा हो या अनेपक्षित, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण विलम्ब से पूरा हो एवं ऐसे प्रकरणों में जहाँ किये गये अतिरिक्त प्रयास या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो जो अधिप्राप्तिकर्ता या निविदादाता के नियंत्रण के बाहर हो, श्रेय एवं दायित्व निर्धारण का प्रभाजन कभी–कभी कठिन होता है। अतः जल्दी कार्य पूरा होने पर लाभ देने एवं विलम्ब हेतु दण्डित करने का प्राविधान संविदा में अत्यन्त न्यायपूर्ण ढंग से किया जाय।

(2) साधारणतया, निविदा आमंत्रित करते समय ही कार्य पूरा करने की अवधि का पूर्व निर्धारण किया जाय। निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा होने पर, पुरस्कार अत्यन्त सावधानी से उनसे प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों के मूल्याँकन के पश्चात्, कभी–कभी ही, निर्धारित किया जाय एवं उसका निविदा दस्तावेजों में ही स्पष्ट वित्तीय स्वरूप में उल्लेख किया जाय।

(3) यदि कार्य संविदा की शर्तों में निहित समय से विलम्ब से किया जाय तो परिनिर्धारित नुकसान की धनराशि विशिष्ट रूप से इंगित दर पर उदगृहित की जाय, परन्तु ऐसी धनराशि संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत् से अधिक न हो। निविदा दस्तावेज में ही चिन्हित कमियों, गलतियों, उपेक्षाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख कर स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वरूप में दण्ड प्रस्तावित किया जाय।

44– धरोहर धनराशि, कार्यपूर्ति गारण्टी, प्रतिभूति निक्षेप, बोनस तथा परिनिर्धारित नुकसान–

साधारणतया निम्नलिखित प्रतिशत् विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं, परन्तु वास्तविक धनराशि अधिप्राप्ति इकाई द्वारा कार्य के प्रकार, कार्य की मात्रा तथा अत्यावश्यकता को देखते हुए विनिश्चित की जा सकती है :–

(क) धरोहर धनराशि :–

रु0 25 करोड लागत तक के अनुमानित कार्य के लिए	अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत
रु0 25 करोड लागत से अधिक के अनुमानित कार्य के लिए	रु0 50 लाख + रु0 25 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत

(ख) कार्यपूर्ति गारण्टी – संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत्

(ग) प्रतिभूति निक्षेप – संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत्

(घ) बोनस – संविदा मूल्य का 01 प्रतिशत् प्रतिमाह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत्